

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक जलकर मुकाम सिरोही

लक्ष्मणराम बनाम जोर सिंह

किस्म मुकदामा 188 RT Act नं 115 सन् 2013

<p>तारीख/ हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुआ</p>
<p>15/10/25</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकाराम उप। वकीलवादी मृतक प्रतिपादीसं.। का प्रा.पत्र आदेशा 22 नि. 4 CPC का पेश करे। पत्रावली दिनांक 03/11/25 को पेश की। 03/11/25</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलेक्टर सिरोही (राज.)</p>	<p>जुन प्रस्तुत फर्द का अधिकार पेप करते हुए जावा Not Press करना है। 3/11/25</p>
<p>3/11/25</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकाराम उप.। वकीलवादी ने पुनः प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए उक्त बाढ़ में Not Press किया है जिसमें उक्त बाढ़ को अब आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं होत है उक्त चरित्रे Not Press बरतोज किया जाता है निर्णय से इजलास मुताबक जाया पत्रावली श्रीमल कुमार होकर नम्बर 115 म सहायक कलेक्टर सिरोही (राज.)</p>	<p>जुन प्रस्तुत फर्द का अधिकार पेप करते हुए जावा Not Press करना है। 3/11/25</p>